

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 84/2023

निर्णय दिनांक : 11.12.2024

भगवती प्रसाद बनाम पुष्पा वगै०

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम दुलड़ व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कंचन सिंह चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 11.12.2024 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम/करबा झुंझुनूं में हाल भूमि खसरा नं. 4546/2494 रकबा 1.24 है० कृषि भूमि में वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को मुताबिक हक त्याग पत्र 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादिया संख्या 1 लगायत 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ करने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।



हवाई सिंह यादव
11/12/24
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|----------------------|-------|----------------------|-------|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 2 | स्टाम्प वकालतनामा | 1 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 1 | स्टाम्प अर्जी | |
| मेहनतनामा वकील | | मेहनतनामा वकील पर | |
| खर्चा गवाहान | | खर्चा गवाहान | |
| फीस कमिशनर | | फीस कमिशनर | |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | | बाबत इजराय हुक्मनामा | |
| | | मुतफरिक | |
| योग | 3 | योग | 1 |

हवाई सिंह यादव
11/12/24
(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू (राज.)